# समाहरणालय, लातेहार

(राजस्व शाखा)

पत्रांक 108 / रा0

प्रेषक,

उपायुक्त,
लातेहार।

सेवा में,

अधिकृत पदाधिकारी,
मेसर्स नॉर्थ कर्णपुरा ट्रान्सको लिमिटेड,
रांची।

लातेहार, दिनांक 4 / 02 / 2021

**विषयः–** **नॉर्थ कर्णपुरा सुपर थर्मल पावर परियोजना, नॉर्थ कर्णपुरा–गया 400 के0भी0 / डी0सी0 ट्रांसमिशन लाईन के लिए गैरमजरूआ जंगल–झाड़ी भूमि का अनापति के संबंध में।**

प्रसंगः– राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संकल्प संख्या–1817 दिनांक–30.04.2015।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नॉर्थ कर्णपुरा सुपर थर्मल पावर परियोजना, नॉर्थ कर्णपुरा–गया 400 के0भी0 / डी0सी0 ट्रांसमिशन लाईन के लिए गैरमजरूआ जंगल–झाड़ी भूमि रकबा–6.769 हेक्टेयर का अपयोजन किया जाना है। इस योजना के अंतर्गत पड़ने वाली गैरमजरूआ जंगल–झाड़ी भूमि अनाबाद बिहार / झारखण्ड सरकार के खाते की भूमि है, जिसका किस्म जंगल, जंगल–झाड़ी है। निम्न भूमि गैरमजरूआ डीम्ड फॉरेस्ट (जंगल, जंगल–झाड़ी, सखुआ इत्यादि) के रूप में प्रस्तावित हैः–

| ग्राम | खाता | प्लॉट | रकबा (हे0) | किस्म |
|---|---|---|---|---|
| फुलबसिया उर्फ अमरवाडीह / 58 | 324 | 132 | 1.482 | जंगल |
| | 324 | 138 | 0.007 | जंगल |
| | 66 | 139 | 0.061 | जंगल |
| | 324 | 144 | 0.017 | जंगल |
| | 324 | 229 | 0.364 | जंगल |
| | 324 | 4 | 0.437 | जंगल |
| | 324 | 9 | 0.391 | जंगल |
| चेड़रा / 54 | 162 | 227 | 0.545 | जंगल झाड़ी |
| | 12 | 632 | 0.056 | जंगल सखुआ |
| | 162 | 700 | 0.384 | जंगल झाड़ी |
| | 162 | 854 | 0.002 | जंगल झाड़ी |
| | 162 | 859 | 0.431 | जंगल झाड़ी |
| | 4 | 904 | 0.274 | जंगल सखुआ |
| रहेया / 53 | 209 | 111 | 0.098 | जंगल |
| | 209 | 1643 | 0.745 | जंगल |
| | 209 | 563 | 0.012 | जंगल |
| | 209 | 565 | 0.666 | जंगल |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 209 | 602 | 0.025 | पुरानी परती जंगल |
| | 209 | 669 | 0.002 | जंगल |
| | 209 | 674 | 0.015 | जंगल झाड़ी |
| बेसरा/48 | 159 | 31 | 0.072 | जंगल |
| भाटचतरा/43 | 134 | 1376 | 0.136 | जंगल सुखआ |
| | 134 | 1381 | 0.008 | जंगल सुखआ |
| शिबला/44 | 159 | 1638 | 0.0071 | जंगल |
| | 159 | 1645 | 0.0089 | जंगल |
| | 159 | 1660 | 0.198 | जंगल |
| | 159 | 1697 | 0.007 | जंगल |
| | 159 | 1698 | 0.264 | जंगल |
| | 159 | 1756 | 0.054 | जंगल |
| | | **कुल** | **6.769 हे0** | |

सकल कुल रकबा–6.769 हेक्टेयर गैरमजरूआ जंगल–झाड़ी भूमि के रूप में अंकित भूमि का राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के संकल्प संख्या–1817 दिनांक–30.04.2015 के आलोक मे सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त प्रस्तावित गैरमजरूआ डीम्ड फॉरेस्ट श्रेणी की भूमि के अपयोजन हेतु सैद्धांतिक रूप से कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात् गैरमजरूआ डीम्ड फॉरेस्ट भूमि विधिवत हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा गैरमजरूआ भूमि के हस्तान्तरण के प्रस्ताव की प्रकिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा। गैरमजरूआ जंगल–झाड़ी भूमि के निःशुल्क/सशुल्क हस्तान्तरण/लीज बन्दोवस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जाएगा।

2. गैरमजरूआ डीम्ड फॉरेस्ट (जंगल, जंगल–झाड़ी, सखुआ, इत्यादि) भूमि के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र के बाद प्रयोक्ता एजेंसी को उक्त भूमि के उपयोग की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक उसके विधिवत हस्तान्तरण हेतु राज्यादेश नहीं निर्गत कर दिया जाय।

विश्वासभाजन,

उपायुक्त, लातेहार।